राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
लिंक रोड नं.–3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल

कमांक/आशा/एन एच एम/2021/3696 भोपाल, दिनांक 26.02.2021

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय – आशाओं एवं आशा सहयोगियों को कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 की गतिविधि कमांक 3.1.3.5 में अनुमोदित आशा के लिए निम्नानुसार कल्याणकारी योजना बनाई जा रही है। इसके अनुसार आशाओं/आशा सहयोगियों को आवश्यकतानुसार लाभ प्रदान किया जावेगा –

1. **आशा कल्याणकारी योजना** – इस योजना में आशाओं को निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी –
   1. **ईलाज हेतु निःशुल्क सुविधा** – प्रदेश मे सरकारी अस्पतालों से प्रदान की जाने वाली समस्त स्वास्थ्य सेवाएं आशा एवं आशा सहयोगी के पति एवं बच्चों के लिए निःशुल्क रहेंगी।
   2. **दुर्घटनाग्रस्त आशाओं के ईलाज के दौरान दी जाने वाली सुविधा** – यदि किसी आशा या आशा सहयोगी की दुर्घटना हो जाती है और वह अस्पताल में भर्ती रहती है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाती है तो उस परिस्थिति में उन्हें ईलाज के खर्च तथा रोजमर्रा की आवश्यकताओं (जैसे आवागमन, खाने–पीने, दवाईयों आदि) में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अतः ऐसी आशाएं/आशा सहयोगी जो दुर्घटना में घायल होती है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उनके ईलाज के लिए गंभीरता के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति दिवस के मान से रू. 281.73/– राशि प्रदान की जावेगी। यह राशि वह जब तक अस्पताल में भर्ती रहेगी तब तक प्रदान की जावेगी। यदि इस बीच स्वास्थ्य लाभ हेतु या अस्थायी विकलागता होने पर वह प्रतिदिवस के कार्य करने में असमर्थ होती है तो उस स्थिति में आशा को प्रतिमाह रूटीन इंसेंटिव रू. 2000 तथा आशा सहयोगी को रू. 2000 प्रतिमाह प्रदान किया जाता रहेगा।
   3. **आशा/आशा सहयोगी की स्वयं की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन** – वे आशाएं जो 8वीं पास है तथा आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है उन्हें फीस एवं किताबों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग प्रदान किया जायेगा। 8वीं के बाद पढ़ाई करने वाली आशा को रू. 2000, 10वीं के बाद पढ़ाई करने वाली आशा को रू. 5000, 12वीं के बाद स्नातक/अन्य डिप्लोमा कोर्स करने वाली आशा/आशा सहयोगी को रू 8000 एवं स्नातक के बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली आशा/आशा सहयोगी को रू. 10000 की प्रोत्साहन राशि वर्ष में एक बार प्रदान की जावेगी। इस हेतु आशा/आशा सहयोगी के समस्त दस्तावेज आवेदन सहित प्राप्त किये जावेंगे एवं जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन पश्चात् प्रदान किये जावेंगे।
   4. **आशा के परिवार में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन** – 10वीं की कक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले आशाओं/आशा सहयोगियों के बच्चों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्मार्ट क्लासेज/कोचिंग क्लासेज करने/किताब कॉपी आदि खरीदने हेतु सहयोग किया जावेगा। यह राशि 10वीं उत्तीर्ण करने वाले तथा 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों का रू 5000 तथा 12 वीं उत्तीर्ण करने तथा स्नातक करने के लिए रू. 8000 तक की मदद
      प्रतिवर्ष दी जावेगी। अंक सूची एवं समस्त दस्तावेज के साथ आशा/आशा सहयोगी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिला स्वास्थ्य समिति में अनुमोदन पश्चात् लाभ प्रदान किया जावेगा। यह लाभ दो जीवित संतानों पर ही प्रदान किया जावेगा। यह राशि केवल ऐसी स्थिति में प्रदाय की जायेगी जब शासन के किसी अन्य विभाग के माध्यम से बच्चों को आर्थिक सहायता/स्कॉलरशिप नही दी जा रही हो।
   5. **आशाओं और आशा सहयोगी मातृत्व अवकाश** – वे आशाएं/आशा सहयोगी जो गर्भवती है उन्हें 6 माह का मातृत्व प्रदान किया जायेगा। इस दौरान वे अपने गांव में रह कर अपने रूटीन कार्य करेंगी। इस दौरान आशा एवं आशा सहयोगियों को 6 माह तक रूटीन इंसेंटिव रू. 2000 की राशि प्रदान जावेगी। यदि वह स्वास्थ्य के उसके अन्य कार्य करना चाहती है तो कर सकती है।

6. **स्वावलंबन पेंशन निधि योजना** – 55 वर्ष से कम आयु की आशा/आशा सहयोगियों को भारत शासन की स्वावलंबन पेंशन निधि योजना से जोडा जायेगा। योजना अंतर्गत आशा/आशा सहयोगियों द्वारा की गई मासिक बचत एवं शासन के अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात योजना में जमा राशि एकमुश्त अथवा मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त की जा सकती है।
7. **वृद्धावस्था सहायता** – जिन आशा/आशा सहयोगियों को स्वावलंबन योजना की पात्रता नही है, उन्हें 60 वर्ष पूर्ण होने पर एकमुश्त रू. 20,000 वृद्धावस्था सहायता के रूप में प्रदाय किया जायेगा। यह राशि उसी स्थिति में देय होगी जब आशा/आशा सहयोगी अपने कार्य से त्याग पत्र दें।

2. **कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा का निराकरण** – आशा के साथ विभागीय या क्षेत्रीय स्तर पर छेडछाड़ की घटनाएं होती रहती है जिसके बारे में आशाएं बताने में संकोच करती है। अतः कार्यस्थल पर यौन हिंसा एक्ट 2013 के तहत **कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट** का गठन किया जाये। आशा ग्रिवेंस रिड्रेसल कमेटी इस कमेटी का हिस्सा होगी। इन कमेटी में 2 महिलाएं होना आवश्यक है। जिसमें आशाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा सके। आशा एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है और उसे अक्सर किसी भी समय कार्य करना पड़ता है। अतः आशाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुददा है। इसका निराकरण तत्काल किया जाना चाहिए।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक
एन एच एम,मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/आशा/एनएचएम/2021/3697 भोपाल, दिनांक 26.02.2021

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश शासन।
2. क्षेत्रीय संचालक, समस्त संभाग, स्वास्थ्य सेवाएं, मप्र।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मप्र।
4. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला कम्युनिटी मोबिलाईजर, मप्र।
5. समस्त बीएमओ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से।

मिशन संचालक
एन एच एम,मध्यप्रदेश